<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3818

28 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

को लौह अयस्क खान

3818. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर॰आई॰एन॰एल॰, जो उच्च कच्चे माल की लागत के बावजूद लगभग डेढ़ दशकों से लाभ कमा रहा था, के कायाकल्प करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आर॰आई॰एन॰एल॰ आबद्ध लौह अयस्क खान आवंटित करने के लिए काफी लंबे समय से मांग कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की आर॰आई॰एन॰एल॰ और एन॰एम॰डी॰सी॰ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आर॰आई॰एन॰एल॰ ने ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन में 360 करोड़ रुपये का निवेश किया है परंतु कानूनी उलझनों के कारण खान निष्क्रिय पड़े हैं; और

(ङ) क्या सरकार इसे आर॰आई॰एन॰एल॰ को आवंटित किए जाने के संदर्भ में सोचेगी?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): आरआईएनएल ने वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक लाभ अर्जित किए हैं। कंपनी की वित्तीय स्थितियाँ बाद में मुख्य रूप से सस्ते आयातों, प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों, इस्पात उत्पादों की बिक्री से कम शुद्ध प्राप्तियों, आयातित और देशीय कोयला की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक इस्पात उद्योग में मंदी इत्यादि जैसे घटकों के कारण प्रभावित हुई थी।

इस्पात मंत्रालय ने सेल और आरआईएनएल का कायाकल्प करने के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने हेतु मार्च, 2017 में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्शों के पश्चात् आरआईएनएल ने जुलाई, 2017 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। एमओयू में अन्य के साथ-साथ एमओयू के तहत निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर आरआईएनएल द्वारा उत्पादन और विपणन निष्पादन इत्यादि के लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने समेत विभिन्न परियोजनाओं/ प्रचालनों/लागतों से संबंधित कार्य-योजना और लक्ष्यों का विस्तृत रोडमैप निहित है।

(ख) और (ग): जी हाँ। तथापि, खनन पट्टे का आवंटन माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) (एमएमडीआर) एक्ट, 1957, जोकि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) (एमएमडीआर) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 (2015 का एक्ट 10) द्वारा यथा-संशोधित है, से विनियमित होता है। इसके तहत राज्य सरकारों को उक्त अधिनियम की धारा 17ए (2ए) के तहत आरक्षण रूट के जरिए अथवा धारा 10ए के अंतर्गत नीलामी की विधि के जरिए खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए आरआईएनएल पहले ही एनएमडीसी के साथ एक करार कर चुका है।

(घ): आरआईएनएल ने ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) में 361.03 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया है। सरकार द्वारा अनुमोदित होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, आरआईएनएल की सहायक कंपनी ईआईएल है और ईआईएल की सहायक कंपनी ओएमडीसी है।

ओएमडीसी द्वारा प्रचालित की जाने वाली खानें खनन पट्टों, जिन पर मुकदमेबाजी चल रही है, का नवीनीकरण न होने के कारण प्रचालन में नहीं हैं।

(ङ): खनन पट्टे का आवंटन एमएमडीआर एक्ट, 1957, जो आगे वर्ष 2015 के एक्ट, 10 और वर्ष 2016 के एक्ट, 25 द्वारा यथा-संशोधित है, के अनुसार विनियमित होता है।

*****